

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राजो)
 पीठासीन अधिकारी : श्री के. आर. शर्मा, B.A.S.
 न संख्या 584 / 2017
 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956
 उनवान

8630 क 225 510 शेकर काले गंदा

निवासी शाहपुरा
 बनाम

- प्रार्थी / प्रार्थीगण

510 30 म उपखण्ड

निवासी इलियम गंदा शाहपुरा

स्थित :-

श्री देवक राजीव
 कर्मचारी: 8 (प्रति)

- विपक्षी / विपक्षीगण

निर्णय

दिनांक 28/2/18

प्रार्थी / प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विपक्षी / विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है :- प्रार्थी / प्रार्थीगण के ग्राम शाहपुरा / जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी खसरा नम्बर 2026 खसरा 0-37 ई 2030 खसरा 0-71 ई 2635 खसरा 0-25 ई

कुल किता 3 रकबा 1-33 हैक्टर का प्रार्थी / प्रार्थीगण खातेदार / संयुक्त खातेदार काशतकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षी / विपक्षीगण पड़ोसी है। प्रार्थी / प्रार्थीगण एवं विपक्षी / विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है अतः पत्थरगढ़ी कराई जावे।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षी / विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षी / विपक्षीगण बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने से एक तरफा कार्यवाही की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थी / प्रार्थीगण सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी ग्राम 2185 संवत् 2072 से 2075 तक का अवलोकन किया उपरोक्त वर्णित आराजीयात के प्रार्थी / प्रार्थीगण खातेदार / संयुक्त खातेदार दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थी / प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा 2185 में स्थित प्रार्थी / प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी / संयुक्त खातेदारी की आराजीयात किता 3 रकबा 1-33 हैक्टर की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नहीं करते हुए पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर फीस 200 रुपये कायम किये जाते हैं जो प्रार्थी / प्रार्थीगण से तहसीलदार शाहपुरा / मौके पर प्राप्त करे। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तहसील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 28/2/18 को सरे इजलास सुनाया गया।



(के. आर. शर्मा)
 लैण्ड अधिकारी एल
 सहायक कलेक्टर
 शाहपुरा (भीलवाड़ा)

प्रतिलिपि:- तहसीलदार, शाहपुरा / पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

(के. आर. शर्मा)
 लैण्ड अधिकारी एल
 सहायक कलेक्टर
 शाहपुरा (भीलवाड़ा)